सं0–1213/IV(2)–श0वि0–08–236(सा0)/05

प्रेषक,

विनीता कुनार,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक–22 अक्टूबर, 2008

विषय : नगर पालिका परिषद, रामनगर के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में स्वीकृत कार्यों की अवशेष धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 471/V–श0वि–06–236(सा.)/2005, दिनांक 06.3.2006 के क्रम में शासनादेश संख्या 382/IV–श0वि0–07–236(सा0)/05 दिनांक 24–10–2007 तथा शासनादेश संख्या 239/IV(2)–श0वि0–08–236(सा0)/05 दिनांक 20–3–2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर पालिका परिषद, रामनगर जनपद नैनीताल के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए रू0–195.84 लाख के विपरीत क्रमशः रू0 43.35 लाख, रू0 40.00 लाख तथा 80.00 लाख अर्थात् कुल 163.35 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, रामनगर के पत्र संख्या 1227, दिनांक 30–8–2008 द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 6–3–2006 द्वारा स्वीकृत कार्यों की धनराशि रू0 146.76 लाख व्यय की जा चुकी है तथा रू0 32.49 अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

2– शासनादेश संख्या 278/V–श0वि0–06–236(सा0)/05 दिनांक 10–2–2006 तथा शासनादेश संख्या 2570/V/2006–236(सा0)/05 दिनांक 9–11–2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनके माध्यम से क्रमशः रू0 83.57 लाख तथा रू0 1.46 लाख अर्थात् कुल 85.03 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी थी उक्त के सापेक्ष प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर कार्य पूर्ण करते हुए रू0 75.68 लाख का व्यय किया गया है। इस प्रकार रू0 9.35 लाख धनराशि बचत के रूप में अवशेष है।

3– अतएव उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 06–3–06 के माध्यम से स्वीकृत कार्यों के लिए स्वीकृति हेतु अब अवशेष रू0–32.49 लाख के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस धनराशि के विपरीत प्रस्तर–2 में उल्लिखित बचत/अवशेष की धनराशि रू0 9.35 लाख का समायोजन करते हुए रू. 23.14 लाख (रूपये तेईस लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि रू. 23.14 लाख (रूपये तेईस लाख चौदह हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर पालिका परिषद को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से तब उपलब्ध करायी जायेगी, जब सम्बन्धित नगर पालिका परिषद यह स्पष्ट कर दे कि अनुमोदित लागत के विपरीत टेण्डर की लागत क्या है, स्पष्ट करने पर तदनुसार तथा शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।
2. शासनादेश संख्या 471/V–श.वि.–06–236(सा.)/2005, दिनांक 06.3.2006, शासनादेश संख्या 278/V–श0वि0–06–236(सा0)/05 दिनांक 10–2–2006 में उल्लिखित अन्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में धनराशि आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

4. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
6. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
7. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति के विवरण देने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0- 806/XXVII(2)/2008, दिनांक- 10 अक्टूबर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

सं0- 1213 (1)/IV-श0वि0-08,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामनगर।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
अपर सचिव।